मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-14

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004 (श्रावण 4, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 62 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह में आकर नारेबाजी करने लगे तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कहते रहे)

2. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की मैहर तहसील व उसके आस-पास के क्षेत्र में स्वजल योजना का कार्य पूर्ण न होने,

(2) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना तथा इंदौर में नकली घी का कारोबार होने,

(3) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले के सलीमनाबाद छपरा में मार्बल की अवैध खुदाई होने,

(4) श्री रामदास उईके, सदस्य की जिला छिन्दवाड़ा में पूर्व प्रीमैट्रिक छात्रावास चालू न होने,

(5) श्री जगन्नाथ सिंह, सदस्य की जनसंपर्क विभाग का सूचना केन्द्र सीधी जिले के देवसर में खोले जाने,

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य की मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर शासन का कब्जा होने,

(7) श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य की खंडवा जिले के नगर पंचायत बूंदी द्वारा नकली पाईप की खरीदी होने,

(8) श्री किशोरीलाल वर्मा, सदस्य की खंडवा जिले के बोरगांव खुर्द से सिराला मार्ग के निर्माण कार्य में अनियमितता होने,

(9) श्री अजय विश्नोई, सदस्य की मध्यप्रदेश में अनेक चिकित्सा शिक्षा संस्थानों द्वारा फर्जी डिग्रियों का प्रदाय किये जाने, तथा

(10) पं. रमेश दुबे, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में सहकारिता विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन न मिलने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

3. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री की अस्वस्थता के कारण मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल नहीं हो सकेगा।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, जन शिकायत निवारण मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार आप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड का बारहवां एवं तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002,

(2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड के 31 मार्च, 2000, 31 मार्च, 2001 तथा 31 मार्च, 2002 को समाप्त हुए वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन, तथा

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम मर्यादित (समापनांतर्गत) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004 (19.1.2003-18.1.2004),

पटल पर रखे।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह से नारेबाजी करते रहे तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कहते रहे)

व्यवधान होने के कारण विधान सभा की कार्यवाही 11.34 बजे आधा घण्टे के लिए स्थगित होकर 12.04 बजे पुनः प्रारम्भ हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कहते रहे)

5. ध्यानाकर्षण

(1) सर्वश्री उमाशंकर गुप्ता, नरोत्तम मिश्रा, आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल नगर की पेयजल समस्या का निदान न होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार श्री जयन्त मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

(सर्वश्री प्रेमचंद गुड्डू, सुखदेव पांसे, सदस्य की ध्यानाकर्षण की सूचना व्यवधान होने के कारण प्रस्तुत नहीं हो सकी)

6. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(1) श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -23	जल संसाधन के लिए पांच सौ सैतीस करोड़, बावन लाख, तेरासी हजार रूपये,
अनुदान संख्या -27	स्कूल शिक्षा (प्रारम्भिक शिक्षा) के लिए नौ सौ ग्यारह करोड़, तेईस लाख, दो हजार रूपये,
अनुदान संख्या -40	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट के लिए सात करोड़, तिरानवे लाख, अड़तालीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य के लिए अठ्ठावन करोड़, सैतालीस लाख, बत्तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -48	नर्मदा घाटी विकास के लिए दो हजार चार सौ अठारह करोड़, पच्चीस लाख, चवालीस हजार रूपये,

अनुदान संख्या -57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बयालीस करोड़, चार लाख, छियानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या -75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अस्सी करोड़, सैतीस लाख, बानवे हजार रूपये,
अनुदान संख्या -78	नर्मदा घाटी विकास से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए चौरासी करोड़, पचपन लाख, बहात्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -91	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-स्कूल शिक्षा के लिए एक करोड़, बासठ लाख, छियासी हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -95	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारम्भिक शिक्षा को छोड़कर) तीन सौ अठ्ठाईस करोड़, तैतीस लाख, उन्हत्तर हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 23	4,5,6,9,10
मांग संख्या - 27	1,5,7,9,10
मांग संख्या - 40	1
मांग संख्या - 45	1,2,3,5
मांग संख्या - 48	1
मांग संख्या - 78	1
मांग संख्या - 91	1
मांग संख्या - 95	2

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

मांग संख्या 23,27,40,45,48,57,75,78,91 एवं 95 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांगों के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री अंचल सोनकर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण के लिए उनसठ करोड़, अड़सठ लाख, पन्द्रह हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 39	2,5

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जाएंगे।

मांग संख्या 39 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव और मांग के प्रस्ताव पर एक साथ मत लिया गया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए दो सौ बाईस करोड़, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए चौदह करोड़, छियासी लाख, एक हजार रूपये,
अनुदान संख्या -58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए अड़तालीस करोड़, सैतालीस लाख, तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -84	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रशासन के स्तरों का उन्नयन-राजस्व के लिए बीस करोड़,ग्यारह लाख, चौहत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -63	अल्प संख्यक कल्याण के लिए एक करोड़, छब्बीस लाख, छियासठ हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -66	पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए चौतीस करोड़, सैतालीस लाख, नौ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 08	1,2,4,5
मांग संख्या - 09	1,3,5,9
मांग संख्या - 58	2,3
मांग संख्या - 63	1,3
मांग संख्या - 66	1

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्य मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी के विरोध में गर्भगृह में आकर नारेबाजी करते रहे तथा मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कहते रहे)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बंशमणि प्रसाद वर्मा

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़

7. निंदा प्रस्ताव

श्री कैलाश चावला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है जो इतने सालों से राज करती रही है जिससे यह अपेक्षा रहती है कि वह लोकतांत्रिक परंपराओं का पालन करें किसी ऐसे वक्तव्य को जो सदन में नही दिया गया, उसे सदन में उठाना और विधान सभा की कार्यवाही नही चलने देना अमानवीय कृत्य है और इसलिय सम्पूर्ण सदन को चाहिए कि वह उनकी निंदा करे. अध्यक्ष महोदय आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने आज परंपराओं का पालन किया और जिन्होने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने विचार रखे, इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहां उपस्थित रह कर अपने विचार रखे उनकों भी धन्यवाद देता हूं.

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने भी प्रस्ताव किया कि -

माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय वाणिज्य एवं उद्यौग मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, निश्चित रूप से इस सदन के अंदर कभी भी ऐसी परंपरा नही रही है कि बाहर दिये हुए बयान पर सदन की कार्यवाही को रोका जाय. सदन की कार्यवाही को तभी रोका जा सकता है जब सदन में नियमों प्रक्रियाओं के तहत बात चल रही हो,ऐसी परम्परा रही है, बगैर परम्परा के सदन के सबसे बड़े विपक्षी दल,कांग्रेस ने जो गैर प्रजातांत्रिक कृत्य किया है मै उसकी घोर निंदा करता हूं और इस सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करते हुए मै उनका निंदा का प्रस्ताव रख रहा हूं कि सदन सर्वानुमति से इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करता है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पर निर्णय दिया गया कि श्री कैलाश चावला,और श्री कैलाश विजयवर्गीय ने जो कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों के प्रति निंदा का प्रस्ताव रखा है उसकी आवश्यकता मै नही समझता.

मैने जो सदस्य अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहते है उन्हे सहयोग दिया है चूंकि सदन अब व्यवहारिक रूप से चल रहा है इसलिए मैं इस निंदा प्रस्ताव की आवश्यकता नही समझता.

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी, के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा की गई समाचार पत्रों में प्रकाशित कथित टिप्पणी पर माफी न मांगे जाने पर एवं उनकी बात न सुनी जाने का आरोप लगाते हुए विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया)

सभापति महोदय (डॉ. नरोत्तम मिश्रा) पीठासीन हुए.

8. स्वागत

(1) श्री विजय कुमार खण्डेलवाल, सांसद की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

(2) श्री अशोक अर्गल, सांसद की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

9. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री कृष्ण कुमार सिंह
(6) श्री लाखन सिंह बघेल
(7) श्री मनोहर लाल राठौर
(8) श्री मनमोहन शाह बट्टी
(9) श्री विजय बहादुर सिंह बुंदेला

श्री दिलीप भटेरे, राजस्व मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10 वक्तव्य

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने अन्य राज्यों से आयातित चावल, आटा, एवं बेसन पर देय वाणिज्यिक कर की दरों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में वक्तव्य दिया।

11. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(4) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तीन करोड़, सैतीस लाख, दस हजार रूपये,
अनुदान संख्या -53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनांर्तग नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए ग्यारह करोड़, छत्तीस लाख, अन्ठावन हजार रूपये,
अनुदान संख्या -81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पांच सौ पचासी करोड़, बाबन हजार रूपये, तथा
अनुदान संख्या -83	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए आठ करोड़, आठ हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 22	2,5
मांग संख्या - 53	1
मांग संख्या - 81	2

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(2) श्री उमाशंकर गुप्ता
(3) डॉ. सुनीलम्

(4) श्री लाल सिंह आर्य
(5) श्री छोटेलाल सरावगी
(6) श्री शिवप्रसाद राठौर
(7) श्री नानालाल पाटीदार
(8) श्री बहादुर सिंह चौहान
(9) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(10) श्री लाखन सिंह बघेल

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12. स्वागत

श्री गणेश सिंह, सांसद की सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर सदन द्वारा उनका स्वागत किया गया।

13. वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को "लेखानुदान द्वारा दी गई धनराशि" के अतिरिक्त -

अनुदान संख्या -26	संस्कृति के लिए बारह करोड़, तिरानवे लाख, सत्तर हजार रूपये,
अनुदान संख्या -37	पर्यटन के लिए दस करोड़ पचपन लाख रूपये, तथा
अनुदान संख्या -70	ग्यारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत विशेष समस्या-पर्यटन के लिए नौ लाख, बीस हजार रूपये,

तक की राशि दी जाय।

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब इन मांगों पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होंगे. कटौती प्रस्ताव की सूची पृथकतः वितरित की जा चुकी है. प्रस्तावक सदस्य का नाम पुकारे जाने पर जो माननीय सदस्य हाथ उठाकर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु सहमति देंगे. उनके ही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जावेंगे.

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव क्रमांक
मांग संख्या - 37	4

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए माने जायेंगे।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

(1) डॉ. सुनीलम्

(2) श्री नागेन्द्र सिंह नागौद

(3) श्री भूपेन्द्र सिंह आर्य

(4) सुश्री कुसुम सिंह महदेले

श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. समितियों का गठन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के क्रमशः नियम 203 (1), 208 (1), 213, 216 (1), 224 (1), 225 (1), 231 (2), 232, 233 (1), 234-ग, 234-घ (2) तथा नियम 234-ज (1), के अधीन, वर्ष 2004-2005 की अवधि तथा नियम 234-ड (2) के अधीन वर्ष 2004-2006 की अवधि में सेवा करने के लिए, विधान सभा की निम्नांकित समितियों हेतु सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट करते हुए नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन उनके सभापतियों को नियुक्त किया जाता है :-

कार्य मंत्रणा समिति

(1) सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री

(2) श्रीमती जमुना देवी, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा

(3) श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री

(4) श्री राघव जी, वित्त मंत्री

(5) श्री कैलाश विजयवर्गीय, संसदीय कार्य मंत्री

(6) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री

(7) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री

(8) श्री कैलाश चावला, वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(9) श्री अनूप मिश्रा, स्कूल शिक्षा मंत्री

(10) श्री हिम्मत कोठारी

(11) श्रीमती सुधा जैन

(12) श्री इन्द्रजीत कुमार

(13) श्री बुन्देला विजयबहादुर सिंह

(14) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति होंगे.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

(1) श्री अमर सिंह कोठार
(2) श्री ध्यानेन्द्र सिंह
(3) श्री रमेश सक्सेना
(4) श्री दुर्गालाल विजय
(5) श्री जितेन्द्र
(6) श्री अंतर सिंह दरबार
(7) श्री मुन्ना सिंह

श्री अमर सिंह कोठार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

याचिका समिति

(1) श्री रसाल सिंह
(2) श्री जुगुल किशोर
(3) श्री भगवत सिंह पटेल
(4) श्री मेहरबान सिंह रावत
(5) श्री हरेन्द्रजीत सिंह "बब्बू"
(6) श्री दीवान सिंह पटेल
(7) श्री नारायण प्रसाद कबीरपंथी
(8) श्री महेन्द्र सिंह केशर सिंह चौहान
(9) श्री आरिफ अकील
(10) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(11) श्री अर्जुन पलिया

श्री रसाल सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रत्यायुक्त विधान समिति

(1) श्री रामपाल सिंह
(2) श्री धरमू राय
(3) श्री कमल पटेल
(4) श्री गुरूचरण सिंह
(5) सुश्री निर्मला भूरिया

(6) श्री शरद जैन (एडव्होकेट)
(7) पंडित रमेश दुबे
(8) श्री गिरिराज मण्डलोई
(9) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह
(10) श्री अश्विन जोशी
(11) श्री दिलीप सिंह गुर्जर

श्री रामपाल सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

(1) श्री ज्ञान सिंह
(2) श्री हुकुमचंद यादव
(3) श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद)
(4) श्री जालम सिंह पटेल
(5) श्री दीपक कैलाश जोशी
(6) श्री देव सिंह सैयाम
(7) श्री बृजमोहन दास धूत
(8) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(9) श्री सज्जन सिंह वर्मा
(10) श्री निशिथ पटेल
(1) श्री लाखन सिंह बघेल

श्री ज्ञान सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

विशेषाधिकार समिति

(1) श्री मनोहरलाल हजारीलाल राठौर
(2) श्री के.डी. देशमुख
(3) श्री जगन्नाथ सिंह
(4) श्री प्रेमसिंह पटेल
(5) श्री अजय विश्नोई
(6) श्रीमती सुधा जैन
(7) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

(8) श्री उमाशंकर गुप्ता
(9) डॉ. गोविन्द सिंह
(10) श्री राजनारायण सिंह

श्रीमती सुधा जैन, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

नियम समिति

(1) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री
(2) श्री भूपेन्द्र आर्य
(3) श्रई हरीसिंह रघुवंशी
(4) श्री राजेन्द्र सिंह
(5) श्री गजराज सिंह सिकरवार
(6) श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.)
(7) श्री रामदयाल प्रभाकर
(8) श्री जयसिंह मरावी
(9) श्री प्रियव्रत सिंह
(10) श्री राजवर्धन सिंह

माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधानसभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे.

सदन समिति

(1) डॉ. नरोत्तम मिश्रा
(2) श्री ओमप्रकाश खटीक
(3) श्री पारस जैन
(4) श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़)
(5) श्री अनूप सिंह मरावी
(6) श्री राजेश पटेल
(7) श्री हर्ष सिंह

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पुस्तकालय समिति

(1) श्री रामदयाल अहिरवार
(2) श्री तुकोजीराव पवार
(3) श्री अखण्ड प्रताप सिंह यादव
(4) श्री मारोतराव खवसे
(5) श्री किशोरी लाल वर्मा
(6) श्री काशी प्रसाद बागरी
(7) श्री छत्रपति सिंह
(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री जालम सिंह पटेल
(10) श्री गोपाल सिंह चौहान (डग्गी राजा)
(11) श्री बघेल राजेन्द्र सिंह
(12) श्री प्रेम सिंह

श्री तुकोजीराव पवार, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति

(1) श्री बंशीलाल जाटव
(2) श्री श्यामलाल पंथी
(3) श्री पंचूलाल प्रजापति
(4) श्री पण्डित हरिचरण तिवारी
(5) श्री बहादुर सिंह
(6) श्री हरिशंकर खटीक
(7) श्री सुदामा सिंह
(8) श्री अंतर सिंह आर्य
(9) श्री घनश्याम सिंह
(10) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(11) श्री विक्रम सिंह उर्फ नाती राजा

श्री बंशीलाल जाटव, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

(1) श्री फूलचंद वैदिया
(2) श्री बहादुर सिंह
(3) श्री प्रकाश सोनकर
(4) श्री मधुकर हर्णे
(5) श्री नानालाल पाटीदार
(6) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(7) श्री मनोज निर्भय सिंह पटेल
(8) श्री शरद जैन (एडव्होकेट)
(9) श्री शिवनारायण मीणा
(10) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (गुड्डा)
(11) ठा. सोबरन सिंह "बाबूजी"

श्री मधुकर हर्णे, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

आय-व्ययक संबंधी समिति

(1) श्री हजारीलाल रघुवंशी, उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा
(2) श्री सत्यदेव कटारे, सभापति, लोक लेखा समिति
(3) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति, प्राक्कलन समिति
(4) श्री उमाशंकर गुप्ता
(5) श्री छोटेलाल सरावगी (खुद्दी भैया)

माननीय उपाध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के पदेन सभापति होंगे.

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति

(1) सुश्री कुसुम सिंह
(2) श्री लक्ष्मण सिंह गौड़
(3) श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया
(4) श्रीमती रंजना बघेल
(5) श्रीमती संध्या राय

(6) श्री गिरीश गौतम
(7) सुश्री उषा ठाकुर
(8) श्रीमती रेखा रत्नाकर
(9) श्रीमती पुष्पलता लिखीराम कावरे
(10) श्रीमती सुनीता बेले
(11) श्रीमती सुशीला राकेश सिरोठिया

सुश्री कुसुम सिंह, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया।

4.24 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 27 जुलाई, 2004 (श्रावण 5, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.